



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1935 (श०)

(सं० पटना 280) पटना, सोमवार, 8 अप्रैल 2013

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

02 अप्रैल 2013

सं० वि०स०वि०-०९/२०१३-३६१८/वि०स०—“बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 02 अप्रैल, 2013 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-११६ के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

फूल झा,

प्रभारी सचिव ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

[विंशठविं-08/2013]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

प्रस्तावना:- चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की समस्त व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाया जाना राज्य के शिक्षण हित में अत्यंत ही आवश्यक है,

और, चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्णीत विभिन्न विनियमों में ऑक्टिंग प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत रेगुलेशनों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-2 का संशोधन ।-बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड-(त) को निम्नलिखित द्वारा अन्तःस्थापित किया जायगा :-

“(त) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।”

3. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 का संशोधन ।- उक्त अधिनियम की धारा-57 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, यथा :-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के पहले शीर्षक सहित नई उप-धारा (1) अन्तःस्थापित की जायगी, यथा:-

“57. विश्वविद्यालय तथा उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति ।

(1) (i) इस अधिनियम और परिनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए आयोग विश्वविद्यालय के शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के संबंध में यथासंभव उन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे राज्य सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा सुपुर्द दिये गये हैं।

(ii) राज्य सरकार की अनुशंसा पर आयोग विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन कर सकेगा, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा (स्टेट इलिजिविलिटी टेस्ट) कहा जा सकेगा। इस निर्मित आयोग केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें यू०जी०सी० के विनियम 2010 में अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित अर्हतायें प्राप्त हो;

परन्तु आयोग ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई विनियम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अध्यधीन संचालित करेगी।

(iii) आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ कौसिंल फौर साइन्टिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता / राज्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हो एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें अथवा समय-समय पर विहित अर्हताएँ प्राप्त हो;

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम०फिल/ पी०एच०डी० उपाधि के लिए गठित न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के आधार पर पी०एच०डी० डिग्री प्राप्त कर लिया है, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से उत्तीर्णता प्राप्त करने की छूट होगी ।

- (iv) विषयवार रिक्तियां अगले पंचांग वर्ष की अनुमानित रिक्तियों सहित आरक्षण रोस्टर के साथ प्रत्येक वर्ष की इक्तीसर्वां दिसम्बर तक विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भेजी जायेगी।
- (v) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकृत तथा संसूचित शिक्षकों के पदों पर नियुक्त आयोग की अनुशंसानुसार ही करेगा और शिक्षकों के पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के बिना नहीं की जायगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यकतानुसार की जाने वाली अनुशंसा में आयोग इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों का पालन करेगा।
- (vi) खण्ड (iii) के अधीन आवेदित आवेदकों की अन्तर्विक्षा के आधार पर आयोग विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिये विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा, और ऐसी सूची इसके अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य होगी। विषयवार सूची में रिक्तियों के दोगुणा नाम योग्यता क्रम में रखे जायेंगे, किन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध केवल एक ही नाम नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को एक समय में भेजेगा;
- परन्तु, यह कि आयोग मेधा सूची तथा अधिमानक्रम से राज्य में नियुक्तियों में आरक्षण विषयक लागू विधि के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये आरक्षण रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय को नाम अनुशंसित करेगा। इस अधिनियम, परिनियम के उपबंधों में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी बिहार राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति सभी नियुक्तियों पर लागू होगी।
- (vii) आयोग की समस्त कार्यवाहियाँ, बैठक का कार्यवृत्त, योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची सहित प्रतिदिन के आधार पर पूरी कर ली जायेगी। योग्यता सूची से संबंधित अभिलेख आयोग द्वारा हस्ताक्षरित होंगे तथा संबंधित विषय की योग्यता सूची को उस विषय के अन्तर्विक्षा की अंतिम तिथि को ही अंतिम रूप दे दी जायेगी।
- (viii) आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। नियुक्ति करते समय, विश्वविद्यालय द्वारा खण्ड (vi) के अधीन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर, आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय नियुक्ति करेगी।
- (ix) विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति, सेवामुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबंध में आयोग के परामर्श से विहित रीति से कार्रवाई करेगी।
- (x) विश्वविद्यालय विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए बोर्ड का गठन यू०जी०सी० द्वारा समय-समय पर परिचालित विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा संसूचित निदेशों के आलोक में आयोग द्वारा किया जायगा;
- परन्तु नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठकों में संबंधित विषय के कम-से-कम तीन विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे।
- (ख) वर्तमान खण्ड (i) के पूर्व कोष्ठक और अंक यथा उप-धारा “(2)” जोड़ी जायगी तथा उसमें जहाँ-जहाँ शब्द “शिक्षक” आया है को शब्द “प्रधानाचार्य” से प्रतिस्थापित किया जायगा।
4. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 का प्रतिस्थापन ।- उक्त अधिनियम में धारा-57क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा :-
- “57क. परिनियम द्वारा विहित की जाने वाली प्रक्रिया :-** (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनें परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सम्बद्ध महाविद्यालयों में, जो राज्य सरकार द्वारा शासित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित नहीं हो, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा ऐसे उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जो इस अधिनियम की धारा-57 (1) का खण्ड (iii) में विहित अहर्ता को पूरा करते हों। इस अधिनियम की धारा-57ख. में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा चयन की कार्रवाई की जायगी।
- (2) चयन समिति द्वारा उपर्युक्त अहर्ता धारित अभ्यर्थियों की अन्तर्विक्षा के आधार पर की जाने वाली अनुशंसा में आरक्षण विषयक लागू नियमों का पालन किया जायगा।

- (3) चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसाएं, अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चयन समिति के द्वारा दिये गये अधिनियम के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्ति की कार्रवाई की जाएगी।
- (4) सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्ति, सेवामुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबंध में उपर्युक्त चयन समिति से परामर्श लेकर विहित ग्रीति से कार्रवाई करेंगे।
- (5) धर्म एवं भाषा के आधार पर सम्बद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शासी निकायों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के अनुमोदन से शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्ति, बर्खास्त, हटाना अथवा सेवा समाप्त एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकेगा;
- परन्तु जहाँ किसी शिक्षक के विरुद्ध मात्र परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक या आरोपों के अन्वेषण तक निलंबन आदेश अन्तर्ग्रस्त हो, तो वैसी स्थिति में चयन समिति का परामर्श आवश्यक नहीं होगा।
5. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57ख. का प्रतिस्थापन। - उक्त अधिनियम की धारा 57ख. को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी, यथा :-
- “57ख. चयनसमितिका गठन :-** (1) सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य, प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय स्तर से निम्नलिखित रूप से किया जायगा, यथा :-
- (i) इस चयन समिति का अध्यक्ष, महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय द्वारा नामित व्यक्ति, जो उनके सदस्यों में होगा- वही चयन समिति का अध्यक्ष होगा;
 - (ii) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य;
 - (iii) महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय के विभागाध्यक्ष;
 - (iv) संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से नामित तीन विशेषज्ञ जो प्राचार्य से अन्यून श्रेणी के होंगे, जिनमें से दो व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/ घोषित कर दिया गया है, उस स्थिति में महाविद्यालय अध्यक्ष की ओर से तीन नामित व्यक्ति, पाँच व्यक्तियों की नामसूची में से होंगे जो अधिमान्यतः अल्पसंख्यक समुदायों से हों, जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विशेषज्ञों की उस तालिका में से अनुशासित किया गया हो, जिस तालिका को संबंधित विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद् द्वारा प्रस्तावित किया हो तथा जिनमें से तीन व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हो;
 - (v) महाविद्यालय के शासी निकाय के द्वारा ऐसे दो विषय-विशेषज्ञों को नामित किया जा सकेगा जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों, और जिन व्यक्तियों को कुलपति द्वारा, विषय-विशेषज्ञों की उस सूची में से अनुशासित किया गया हो, जिस सूची को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
 - (vi) विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिलाएँ/ पृथक तौर से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का आवेदक रहने एवं उस श्रेणी का सदस्य चयन समिति में उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय, जो उस कोटि का एक अकादमिशियन होगा, को नामित करेगी।
 - (vii) चयन समिति की बैठक में पाँच सदस्यों, जिनमें से तीन विषय-विशेषज्ञ होंगे, की उपस्थिति से गणपूर्ति (कोरम) होगी।
6. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-58 का प्रतिस्थापन। - उक्त अधिनियम की धारा-58 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा :-
- “58. चयन प्रक्रिया का अनुपालन।** - इस अधिनियम, परिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 57 (i) एवं 57ख. के अधीन गठित चयन समिति इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होगा।”

7. **व्यावृति** ।- अधिनियम का धारा-57क एवं 57ख. के प्रतिस्थापन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और अधिनियम की धारा 57क. एवं 57ख. के प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी ।

उद्देश्य एवं हेतु

किसी राष्ट्र की प्रगति पूर्णत शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है अगर शिक्षकों की भर्ती के समय उनकी गुणवत्ता की जाँच कर ली जाय तो शिक्षा की श्रेष्ठता सुनिश्चित की जा सकती है । शिक्षकों के बेतनमानों से संबंधित भारत सरकार के पत्रों में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के साथ-साथ स्नातकोत्तर शिक्षा में 55% का अंक होना अनिवार्य किया गया है । इस प्रकार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से देश के विश्वविद्यालयों के गुणात्मक सुधार हेतु उसे विधि के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किया गया है ।

राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षा के गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार एवं उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों, निदेश, अनुदेश के अनुरूप किये जाने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को यू०जी०सी० के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन किये जाने की आवश्यकता है । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के सहायक प्राचार्य के पदों पर योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अनुशंसा करने हेतु अधिकृत करना है । इस विधेयक के अन्तर्गत आयोग को अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अधीन करने हेतु राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने का अधिकार होगा । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(पी० के० शाही)
भार-साधक सदस्य

पटना,
दिनांक 02 अप्रील, 2013

प्रभारी सचिव
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 280-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>